"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 124] रायपुर, सोमवार, दिनांक 20 जून 2005—ज्येष्ठ 30, शक 1927

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के विनियम/नियम आदि का राजपत्र में प्रकाशन की प्रक्रिया के संबंध में दिनांक 1-6-2005 का कार्यवाही विवरण

रायपुर, दिनांक 20 जून 2005

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-9/2002/1/5.—छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के विनियम, नियम आदि के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की प्रक्रिया के संबंध में दिनांक 1-6-2005 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई जिसमें निम्नलिखित उपस्थित रहे—

1. श्री ए. के. विजयवर्गीय, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन.
2. श्री सुयोग्य कुमार मिश्रा, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग.
3. श्री पंकज द्विवेदी, प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग.
4. श्री अजय सिंह, सचिव, ऊर्जा विभाग.
5. श्री बी. एल. अग्रवाल, सचिव, राजस्व विभाग.
6. श्री चन्द्रहास बेहार, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग.
7. श्री एस. के. केहरी, विशेष सचिव, राजस्व विभाग

2. चर्चा अनुसार निम्नलिखित निष्कर्ष निकले—

1. विद्युत अधिनियम 2003, केन्द्रीय अधिनियम है जो छत्तीसगढ़ राज्य में भी प्रभावशील है. इस अधिनियम की धारा 95 के अनुसार आयोग की कार्यवाहियां भारतीय दण्ड संहिता की कुछ धाराओं के आशयों के लिये न्यायिक कार्यवाहियां समझी जायेगी. आयोग को कई मुद्दों पर विनियम बनाने के अधिकार भी है. अत: आयोग कई मुद्दों में शासन से भिन्न है. इस प्रकार का आयोग का अस्तित्व स्वंतत्र संस्था के रूप में है.

2. विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 180 एवं 181 में प्रत्यायोजित विधायन के अधिकार क्रमश: राज्य सरकार एवं आयोग को अलग-अलग दिये गये हैं. विद्युत अधिनियम मे आयोग को कई मामलों में विधायन के अलग से अधिकार प्रदत्त किये गये हैं जो राज्य सरकार के अधिकार से स्वतंत्र रूप में है. ऐसी स्थिति में धारा 181 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए यदि आयोग कोई विनियम/नियम/अधिसूचना जारी करना चाहता है तो वह स्वतंत्र रूप से इसे जारी कर सकता है.

3. आयोग को कई विषयों में विनियम/नियम/अधिसूचना बनाने की शक्तियां दी गई है तथा विद्युत अधिनियम की धारा 181 (तीन) के अनुसार आयोग के विनियम/नियम के प्रकाशन दो बार करने होते हैं, इसलिये प्रकाशन में समय-सीमा का पर्याप्त महत्व है.

3. उपरोक्त तीनों बिन्दुओं के प्रकाश में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग विनियम/नियम/अधिसूचना के प्रकाशन की प्रक्रिया निम्नानुसार रखा जाना उचित होगा :—

(अ) यदि आयोग अपने विनियम/नियम/अधिसूचना साधारण राजपत्र में प्रकाशित करना चाहता हो तो संबंधित विनियम/नियम/अधिसूचना सीधे शासकीय मुद्रणालय को प्रकाशन के लिये भेजेगा एवं एक प्रति सूचनार्थ सचिव ऊर्जा को प्रेषित की जायेगी. ऐसे विनियम/नियम/अधिसूचना साधारण राजपत्र में तदनुसार प्रकाशित किया जावेगा.

(ब) यदि आयोग किसी निश्चित दिनांक के असाधारण राजपत्र में विनियम/नियम/अधिसूचना का प्रकाशन कराना चाहता है तो पर्याप्त समय पूर्व, असाधारण राजपत्र में प्रकाशित कराने की अनुमति के लिये पत्र/प्रस्ताव सीधे सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा जायेगा ताकि सामान्य प्रशासन विभाग असाधारण राजपत्र में प्रकाशित करने की अनुमति समयावधि में प्रदान कर सके. इस पत्र/प्रस्ताव की प्रति भी सूचनार्थ सचिव ऊर्जा को भेजी जायेगी.

(स) उपरोक्त दोनों प्रकार के पत्र/प्रस्ताव तथा अधिसूचना में हस्ताक्षर के लिये आयोग की ओर से सक्षम अधिकारी, आयोग के सचिव/उप सचिव होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रहास बेहार, वि. क. अ. (सचिव.)

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.